न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/207
मुकदमा नम्बर 50/2025 दर्ज दिनांक– 25.04.2025

लक्ष्मी देवी उर्फ चुकी देवी पुत्री भगवानाराम पत्नी श्री महाबीर प्रसाद जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा , हाल निवासी कुम्हारों की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र श्री भगवानाराम
2. रमेश कुमार पुत्र श्री भगवानाराम
3. गीता देवी पुत्री श्री भगवानाराम
4. संतोष पुत्री श्री भगवानाराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण परसरामपुरा, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री किशोर कुमार जांगिड
वकील अनावेदक 1 लगा. 4 :– एक पक्षीय
वकील अनावेदक 5 :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 04.06.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम परसरामपुरा में खाता सं. 55 की भूमि खसरा नं. 2145 रकबा 0.56 है0, खसरा नं. 2147 रकबा 2.66 है0, खसरा नं. 2200 रकबा 1.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.26 है0 के खातेदार रिकार्ड में काश्तकार के नाम चूकी देवी पुत्री भगवाना राम की जगह लक्ष्मी देवी पुत्री भगवाना राम दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदकगण सं. 1 लगा. 4 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित हो कोई उजर/एतराज व्यक्त नही किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर एक पक्षीय बगोर सुनी गई। वकील आवेदक ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन करवाते हुये कथन किया कि, प्रकरण सं. 150/2024 मे

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2024 को पारित आदेश में खाता सं. 411,53,54,599 में तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2024/5765 दिनांक 18.12.2024 में चूकी देवी की जगह लक्ष्मीदेवी रिकार्ड दर्ज कर दुरूस्ती के आदेश दिये जा चूके है परन्तु ग्राम परसरामपुरा का खाता सं. 55 में उक्त दुरूस्ती नही हो पाई है। आदेश कि प्रति प्रदर्शित करते हुये उक्त प्रकरण में भी दुरूस्ती के आदेश का निवेदन किया।

विद्वान वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। प्रा. पत्र वादी का प्रा. पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत शपथ पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोजों तथा प्रकरण सं. 150/2024 मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2024 को पारित आदेश द्वारा साबित पाये जाने जाने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ग्राम परसरामपुरा में खाता सं. 55 की भूमि खसरा नं. 2145 रकबा 0.56 है0, खसरा नं. 2147 रकबा 2.66 है0, खसरा नं. 2200 रकबा 1.04 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.26 है0 के खातेदार रिकार्ड में काश्तकार के नाम चूकी देवी पुत्री भगवाना राम की जगह लक्ष्मी देवी पुत्री भगवाना राम दर्ज कर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू